



संख्या:45/2026/001-905/1619925-12-2099-49-2022

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 04 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या - 011 के लेखाशीर्ष 4401 - फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय- 105 - खाद तथा उर्वरक - 03 - देश में निर्मित रासायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रसांगिक व्यय योजनान्तर्गत मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- उर्वरक /731/ वित्तीय स्वीकृति / 2026-27, दिनांक 13 जुलाई, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक-4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 105 खाद तथा उर्वरक - 03 - देश में निर्मित रासायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रसांगिक व्यय योजना के मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रुपये 4.50 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रुपये 4.50 लाख (रूपया चार लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।
7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
8. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
9. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरणव्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 4401001050300** देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रसांगिक व्यय **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-45 /2026/001-905(1)/ 1619925-12-2099-49-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / बजट अनुभाग - 1 / 2 / कृषि अनुभाग - 5 / नियोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।

7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।